



75
आजादी का
अमृत महोत्सव



व्यवसाय योजना

बुनाई (Knitting)

सरस्वती स्वयं सहायता समूह (सेऊबाग उप-समिति)



जैवविविधता प्रबंधन कमेटी
उप-समिति
ग्राम पंचायत
वन तकनीकी इकाई
मण्डलीय प्रबंधन इकाई
वन वृत्त समन्वय इकाई

काईस
सेऊबाग
काईस
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली
वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
GHNP वृत्त, शमशी

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना
(जाईका वित्तपोषित)

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	3-4
2	स्वयं सहायता समूह की जानकारी	4-5
3.	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	5-6
4.	समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष	6-9
5.	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	9
6.	उत्पादन की प्रक्रिया	9
7	उत्पादन हेतु नियोजन	9-10
8	विपणन	10
9	श्रम का वितरण	11
10	शक्ति अवसर व जोखिम का ,दुर्बलता ,विश्लेषण	11-12
11	उधम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/ आकलन:	
	अ. पूंजीगत व्यय	12
	ब. आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए)	12-13
	स. उत्पादन की लागत (एक चक्र के लिए)	13
	द. विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन	14
12	उधम हेतु लागत – लाभ विश्लेषण: (एक चक्र के लिए)	14
13	समूह की वित्तीय आवश्यकता	15
14	समूह की वित्तीय संसाधन	15
15	सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन प्वाइंट) की गणना	16
16	धनराशी की व्यवस्था	16
17	स्वयं सहायता समूह के नियम	16-17
18	समूह का सहमति पत्र व मण्डल प्रबन्धन इकाई की स्वकृति	18
19	स्वयं सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	19

1. कार्यकारिणी सारांश

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय में स्थित है। यह राज्य कुदरती सुंदरता और समृद्धि, संस्कृति व धार्मिक धरोहर से भरपूर है। राज्य में विविध पारितंत्र, नदियों, घाटियों पाई जाती है। इसकी आबादी 70 लाख के करीब है।

इसका भौगोलिक क्षेत्र 55673 वर्ग कि० मी० है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर मध्य हिमालय का क्षेत्र के ऊँचाई व और ठंडे जोन का क्षेत्र पाया जाता है। राज्य के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिले में हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) के सहयोग से चलाई जा रही है। जिसमें कुल्लू जिला भी शामिल है। वन्यप्राणी मंडल कुल्लू में कुल्लू, मनाली और सुंदर नगर वन परिक्षेत्रों में स्थापित जैवविविधता प्रबंधन कमेटियों में इस परियोजना में उप-समितियां बनाई गई हैं। प्रथम चरण की उपसमितियां जो की कुल्लू और मनाली वन्यप्राणी परिक्षेत्रों में बनी हैं, में प्रत्येक उपसमिति में दो दो स्वयं सहायता समूहों का गठन गठन किया जा चुका है। यद्यपि सरस्वती स्वयं सहायता समूह का गठन वर्ष 2017 में हो चुका था परन्तु इन के समूह के आय सृजन में सुधार हेतु किसी संस्था या सरकारी विभाग ने पहल नहीं की। समूह की महिलाएं एकजुट पाई गयी और परियोजना के कर्मियों से संवाद होने पर और परियोजना में ऐसे समूहों को प्रोत्साहन देने के प्राब्धनों की जानकारी देने पर ये समूह JICA पोषित परियोजना से जुड़ने के लिए प्रसन्नता से राजी हो गया।

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना जाईका (JICA) प्रारंभ होने पर जैवविविधता प्रबंधन कमेटी काईस के सेऊबाग उप-समिति की सूक्ष्म योजना बनाई गयी है। इस उप-समिति में महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह गठित किया गया और पूर्वगठित सरस्वती समूह को दुसरे समूह के रूप में शामिल किया गया। जिनमें से सरस्वती समूह की महिलाओं ने अपनी आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी, मुफलर, कोटी आदि की बुनाई (Knitting) करने की गतिविधि का चयन किया।

उप-समिति के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व बागवानी है परन्तु अधिकतर परिवारों की औसत भूमि बहुत कम है। अन्य संसाधन कम व दूर होने के कारण विशेषकर महिलाओं की आय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। यहाँ के लोग मुख्यता गेहूं, मक्की, जौ व दालों की खेती करने के साथ सब्जी उत्पादन तथा सेब, प्लम, खुमानी इत्यादि नकदी फसले उगाते हैं। परन्तु आय का अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए स्वयं सहायता समूह सरस्वती ने सिलाई व कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वयं सहायता समूह का 05.01.2017 को गठन हो चुका था। इस समूह में कुल 13 सदस्य हैं और सभी महिलाएं हैं। इस समान रूचि समूह ने विस्तार से चर्चा करने पर परियोजना में शामिल होने की स्वीकृति दी। वन्य प्राणी अभ्यारण्य काईस में परियोजना की तरफ से सातोयामा (SATOYAMA) के माध्यम से भी पारिस्थितिकी तंत्र व आजीविका में सुधार में

अतिरिक्त रूप से प्रयास किये जा रहे हैं जिसके तहत अन्य कार्यों के साथ साथ महिलाओं के समूहों को उनके द्वारा चुनी गयी आय सृजन की गतिविधि पर कार्य करने के लिए मशीनों का तथा प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।

वैसे तो अधिकतर महिलाएं हाथ से बुनाई में दक्ष होती हैं, परन्तु परियोजना की सहायता से प्रारम्भ में स्वेटर, जुराब, टोपी, कोटी, मफलर आदि की मशीनों पर बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसपर लगभग 3200 रु की राशी प्रति सदस्य पर एक महीने के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। समूह में शामिल सभी तरह महिलाएं अनुसूचित जाति से हैं तथा आर्थिक रूप से अत्यंत निर्धन परिवारों से सम्बन्ध रखती हैं अतः पूंजीगत व्यय का 75% भाग भी परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,00,000/- रिवोल्विंग फण्ड दिया जाएगा। रिवॉल्विंग फण्ड से उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण लेने में सहायता मिलेगी या आवर्ती व्यय का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ये महिलाएं बैंक ऋण लेने में संकोच कर रही हैं। अतः इन्होंने आवश्यक पूंजीगत व्यय को नकद जमा करके स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। समूह ने तय किया है कि सभी सदस्य नियम व शर्तों के हिसाब से कार्यों का आपसी वंटवारा करेंगे तथा समान रूप से कार्य के अनुसार लाभांश का वंटवारा करेंगे।

सदस्यों के पास आय सृजन की इस गतिविधि पर काम करने के किये नवम्बर से मार्च महीनों पर्याप्त समय होगा जबकि अन्य महीनों में खेती से सम्बंधित काम चरम पर होने के कारण सर्दी के महीनों की तुलना में कम समय मिलेगा। इस प्रकार से समूह के सदस्य औसतन प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकाल कर आजीविका बढ़ाने की इस गतिविधि को चलाएगा।

2. स्वयं सहायता समूह की जानकारी

2.1	स्वयं सहायता समूह का नाम	सरस्वती
2.2	स्वयं सहायता समूह का एम. आई. एस. कोड	-
2.3	जैवविविधता प्रबंधन कमेटी का नाम	काईस
2.4	वन तकनीकी इकाई	वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली
2.5	मण्डलीय प्रबंधन इकाई	वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू
2.6	गाँव	सेऊबाग
2.7	विकास खण्ड	नगगर
2.8	ज़िला	कुल्लू
2.9	समूह के सदस्यों की संख्या	13
2.10	समूह के गठन की तिथि	05.01.2017

2.11	समूह के मासिक वचत की दर	100/-
2.12	बैंक तथा शाखा का नाम	पंजाब नेशनल बैंक, सेऊबाग
2.13	बैंक खाता संख्या	243000100196732
2.14	समूह की कुल वचत	₹ 50,000/-
2.15	समूह द्वारा सदस्यों को दिया गया ऋण	-
2.16	समूह के सदस्यों द्वारा वापिस किये ऋण की स्थिति	-

सरस्वती (सेऊबाग उप-समिति) समूह के सदस्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	लाभार्थी का नाम व पता सुश्री/श्रीमती	पिता/ पति का नाम श्री	पद	गाँव	आयु	लिंग	श्रेणी	सम्पर्क
1	मनसा देवी	स्व. राम चन्द	प्रधान	सेऊबाग	50	स्त्री	अनु.जाति	8894506099
2	जय देई	ओमी चन्द	सचिव	सेऊबाग	34	स्त्री	अनु.जाति	6230460536
3	खिमी देवी	यान चन्द	कोषाध्यक्ष	सेऊबाग	53	स्त्री	अनु.जाति	8219377141
4	हिमा देवी	इच्छे राम	सदस्य	सेऊबाग	51	स्त्री	अनु.जाति	7807035016
5	संध्या	तीरथ राम	सदस्य	सेऊबाग	41	स्त्री	अनु.जाति	8988444350
6	नीलम	थरवन लाल	सदस्य	सेऊबाग	41	स्त्री	अनु.जाति	9418433074
7	दामी देवी	ओम दत्त	सदस्य	सेऊबाग	51	स्त्री	अनु.जाति	8580763196
8	चम्पा	शेर सिंह	सदस्य	सेऊबाग	32	स्त्री	अनु.जाति	8219484033
9	लता देवी	नीरत राम	सदस्य	सेऊबाग	35	स्त्री	अनु.जाति	7876580369
10	डोलमा देवी	पैना राम	सदस्य	सेऊबाग	39	स्त्री	अनु.जाति	7807430290
11	बबली देवी	स्व.मेहर चन्द	सदस्य	सेऊबाग	46	स्त्री	अनु.जाति	6230891208
12	सुषमा	नैन प्रकाश	सदस्य	सेऊबाग	29	स्त्री	अनु.जाति	7807298407
13	आशा	अशोक कुमार	सदस्य	सेऊबाग	30	स्त्री	अनु.जाति	9816236030

3. गाँव की भौगोलिक स्थिति

3-1	ज़िला मुख्यालय से दूरी	5 किलोमीटर
3-2	मुख्य सड़क से दूरी	0 किलोमीटर
3-3	स्थानीय बाज़ार का नाम व दूरी	कुल्लू 5 किलोमीटर भुन्तर 15 किलोमीटर
3-4	मुख्य बाज़ार से दूरी	कुल्लू 5 किलोमीटर भुन्तर 15 किलोमीटर मनाली 35 किलोमीटर
3-5	अन्य मुख्य शहरों व कस्बों से दूरी	पतलीकूहल 25 किलोमीटर

3-6	बाज़ार जहाँ उत्पादों की विक्री की जाएगी	भुन्तर, कुल्लू, मनाली, पतलीकूह, काईस
3-7	गाँव से सम्बन्धित अन्य कोई विशिष्टता जो समूह की गतिविधि से सम्बंधित हो	अधिकतर महिलाएं हाथ की बुनाई का काम जानती हैं

4. समूह के गठन व गतिविधि का परिपेक्ष

(क) व्यवसाय योजना की आवश्यकता क्यों ?

सेऊबाग गाँव जो कि जैवविविधता प्रबंधन कमेटी काईस की उप-समिति सेऊबाग में पड़ता है, में यद्यपि महिलाओं का सरस्वती समूह वर्ष 2017 में बन चुका था परन्तु इन्होंने आय सृजन की किसी गतिविधि को आरम्भ नहीं किया था। परियोजना के कार्य की शुरुआत में लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें परियोजना में इस प्रकार के समूह को परियोजना द्वारा प्रोत्साहन की व्यवस्था के बारे बताया गया व महिलाओं के रुचि दिखने पर परियोजना में शामिल करके उनसे वार्तालाप जारी रखा गया। सरस्वती समूह की सभी महिलाएं बुनाई का काम करके अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहती है। समूह की अधिकतर महिलाये पहले से हाथ की सिलईओं से बुनाई का कार्य करती है। बुनाई की मशीनों से प्रत्येक वस्तु को बनाने में कम समय लगेगा। महिलाओं के पास बुनाई की मशीन नहीं है और न ही मशीन की बुनाई में प्रशिक्षित है। इन कारणों से अपनी आजीविका को इस कार्य में लगे समय के अनुपात में नहीं बढ़ा पा रही है। इसीलिए महिलाओं ने समूह के माध्यम से परियोजना से बुनाई की मशीनों तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है।

(ख) व्यवसाय योजना के उद्देश्य :

- समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना।
- समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना।
- उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना।
- सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना।
- बुनाई की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
- आजीविका की बढ़ोतरी।

(ग) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

महिला व पुरुषों के स्वेटर, कोटी, जुराब, मफलर, टोपी, बच्चों के गरम वस्त्र आदि की मशीन पर बुनाई करेंगे।

(घ) व्यवसाय योजना के कार्यों का विवरण :

(1) **सामुदायिक गतिशीलता :** इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन तथा उसके लिए लाभार्थियों की छंटनी की गयी है।

(2) **समूह का निर्माण :** इस पूर्वगठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से परियोजना कर्मियों ने स्वयं सहायता समूहों को परियोजना से मिलने वाले सहयोग के प्रबंधानों पर चर्चा की और उनकी परियोजना में शामिल होने की सहमति के पश्चात् समूह की सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(3) **क्षमता का निर्माण :** लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है जिस पर होने वाले व्यय का प्रावधान परियोजना द्वारा किया जाएगा।

(4) **सिलाई मशीन इत्यादि का प्रबन्ध :** समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म की मशीने उपलब्ध करवाई जाए ताकि कम समय में अधिक कार्य कर सके तथा विक्रय योग्य सफाई भी उत्पादों में दिखे।

(5) **बाज़ार से जोड़ना :** महिलाओं के अनुसार प्रारंभ में वे अपने गाँव तथा आस पास के गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तथ बच्चों के लिए बुनाई का काम करेंगी। जिससे उनके समूह की आय होने लगेगी। इस के पश्चात् वे बाज़ार से मांग के अनुसार अलग अलग तरह के डिजाईन के पुरुषों, महिलाओं व बच्चों के लिए गरम धागों से बुने वस्त्र बना कर निकट के बाज़ारों में बेचेंगी। अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व निजी सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबध स्थापित करने लिए तैयार है।

(6) **वित्तीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना :** व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समूह को वित्तीय संस्थानों से जोड़ने का पर्यास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया गया है तथा ऋण लेने की अवस्था में परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा। ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5% हिस्सा भी परियोजना की और से सीधे बैंक को चुकाया जायेगा।

(7) बाज़ार की जानकारी : सिले सिलाये परिधानों को मांग के अनुसार बनाने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा आस पास के गाँव में और निकट के कस्बों में विक्रय किया जायेगा ।

(8) निगरानी का तरीका : व्यवसाय योजना शुरू होने से पहले लाभार्थियों का आधार रेखा सर्वेक्षण किया जाएगा । इसके हर छः महीने अथवा साल के बाद निम्न मापदण्डों पर आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा :

- क. मांग में बढ़ोतरी व बाज़ार में उत्पादन की स्वीकार्यता ।
- ख. बेचे गए उत्पाद में बढ़ोतरी ।
- ग. समूह के सदस्यों द्वारा उनकी गतिविधि में दिए जाने वाले औसत समय में वृद्धि ।
- घ. समूह/ प्रति सदस्य आय में बढ़ोतरी ।

उप-समिति की कार्यकारिणी एवं उप-समिति की सामाजिक लेखापरीक्षण कमेटी (Social Audit Committee) समय समय पर समूह की गतिविधि के आकलन करते रहेंगे ।

(9) अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :

- क. पूंजीगत व्यय का 75% भाग परियोजना द्वारा सहायता दी जाएगी, शेष भाग सदस्यों द्वारा वहन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त आवर्ती व्यय को समूह अपनी वचत की राशी से, रिवाँल्विंग फण्ड से अथवा बैंक ऋण ले कर कार्य को आगे बढ़ाएगा ।
- ख. कुल कार्यकर्ता 13 सदस्य
- ग. तकनीकी सहायता गाँव में ही मास्टर ट्रेनर लगाकर परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान किया जाएगा ।

(10) अनुमानित लाभ :

- क. महिलायों के लिए गाँव स्तर पर रोज़गार उपलब्ध होगा ।
- ख. इस गतिविधि पर अन्य व्यस्तताओं से निकले गए थोड़े बहुत समय को उनकी कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि करने की सुविधा देगा ।
- ग. समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका के साधन में वृद्धि का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा ।

5. आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पादों का विवरण

5.1	उत्पाद का नाम	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
5.2	उत्पाद की पहचान की पद्धति	बाज़ार की मांग तथा समूह में विचार विमर्श
5.3	स्वय सहायता समूह/समान रुचि समूह के सदस्यों की सहमति	सहमति पत्र संलग्न है।

6. उत्पादन की प्रक्रिया का विवरण

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि की बुनाई का प्रशिक्षण किसी कुशल संस्था अथवा संस्थान द्वारा दिया जाएगा। सरस्वती समूह के 13 सदस्य यह कार्य करेंगी। प्रशिक्षण के उपरान्त समूह इस कार्य को मांग के अनुसार अधिक स्तर पर करेंगी।

1. **कोटी:** - समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाली कोटी की बुनाई का कार्य करेंगे। अनुमान है कि प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 कोटी तैयार करेगा। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 45 कोटियाँ बना सकती हैं।

2. **स्वेटर:** - समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाली स्वेटरों की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 2 दिन में 1 स्वेटर तैयार करेंगे। इस प्रकार से तीन सदस्य एक माह में 45 स्वेटर बना सकती हैं।

3. **बच्चों के सेट:** - समूह के 3 सदस्य डिजाईन वाले बच्चों के सेट की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 2 बच्चों के सेट तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 180 सेट बना सकती हैं।

4. **जुराबे:** - समूह के दो सदस्य डिजाईन वाली जुराबों की बुनाई का कार्य करेंगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 जुराबों के जोड़े तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 240 जुराबों के जोड़े बना सकती हैं।

5. **टोपी:** - समूह के दो सदस्य डिजाईन वाली टोपी की बुनाई का कार्य करेगी। प्रत्येक सदस्य 4 से 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 1 दिन में 4 टोपी तैयार करेगी। इस प्रकार से दो सदस्य एक माह में 240 टोपियाँ बना सकती हैं।

7. उत्पादन हेतु नियोजन

7.1	प्रति माह कार्य दिवस	30 दिवस (2 दिन औसतन 4-5 घंटे = 1 दिहाड़ी)
7.2	प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति	13 महिलाएं (195 दिहाडियां)
7.3	कच्चे माल का स्रोत	कुल्लू
7.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	कुल्लू

8 विपणन

8.1	संभावित कार्यक्षेत्र	समीप के गाँव व समीप के बाज़ार काईस, कुल्लू, पतलीकूहल
8.2	संभावित कार्यों का अनुमान	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि
8.3	ऋतू परिवर्तन अनुसार कार्य की संभावना	यह कार्य साल भर होगा यद्यपि गर्मियों के लगभग चार माह मांग कम होगी ।
8.4	चिन्हित ग्राहक	गाँव व कस्बों की महिलाएँ, पुरुष व बच्चे। अधिकांश तैयार वस्तुओं के क्रेता पर्यटक होंगे।
8.5	कार्य की उपलब्धता हेतु रणनीति	सीधा सम्पर्क व स्थापित हस्तकला के शो रूम, दुकानों में उत्पाद की विक्री या बुनाई का काम लेना होगा।
8.6	प्राथमिकतायें	कोटी, स्वेटर, बच्चों के सेट, टोपी, जुराबे इत्यादि। इस के अतिरिक्त गरम धागों के मफलर, स्कार्फ आदि की बुनाई भी मांग के अनुसार करेंगी।

9. श्रम का वितरण

समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का बटवारा करेंगे तथा किये गये कार्य के अनुपात में प्राप्त आय का वितरण करेंगे। इस समय विचार है कि स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य हर प्रकार का काम करेंगे परन्तु बाज़ार की मांग के अनुसार बुनी जाने वाली वस्तुओं में क्या क्या बुनना है, निर्भर करेगा। इस

व्यवसाय योजना में तैयार किये जाने वाले वस्तुओं की संख्या सांकेतिक मात्र है जो बाज़ार की मांग के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य का बटवारा एवं प्रत्येक सदस्य की रुचि, दक्षता तथा दिए जाने वाले समय पर निर्भर करेगा। सभी सदस्य बारी बारी लेन देन का हिसाब रखेंगे।

10. शक्ति, दुर्बलता, अवसर व जोखिम का विश्लेषण (SWOT Analysis)

शक्ति :

1. सभी समूह सदस्य सामान्य व अनुकूल सोच रखते हैं। सदस्यों में भरपूर एकता है।
2. समूह के एक सदस्य छोटे पैमाने पर बुनाई का कार्य करेंगे। हाथ की बुनाई में सभी दक्ष हैं।

दुर्बलता:

1. स्वयं सहायता समूह के लिए नया काम है।
2. समूह में मशीन पर कार्य करने का अनुभव नहीं है।

अवसर:

1. समूह को बड़े स्तर पर काम मिल सकता है यदि वे सफाई, गुणवत्ता आदि पर ध्यान रखें।
2. स्थानीय बाज़ारों में गरम वस्त्रों की मांग ठंडा क्षेत्र होने तथा पर्यटकों का आवागमन होने के कारण अधिक है।
3. परियोजना द्वारा बुनाई की मशीनें इत्यादि खरीदने के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति तथा गरीब सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 75% तथा सामान्य श्रेणी महिला को 50% सहायता उपलब्ध है।
4. परियोजना द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण मौके पर अनुभवी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा करवाया जाएगा।

जोखिम:

1. समूह में आन्तरिक टकराव होने पर समूह का कार्य प्रभावित हो सकता है।
2. मांग व पारदर्शिता के अभाव में समूह टूटने की सम्भावना हो सकती है।
3. फेशन के अनुसार परिवर्तन न करें तो काम की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
4. अनुभवी व कुशल कारीगरों से स्पर्धा में खरे उतरना होगा।

11. उद्यम हेतु अनुमानित लागत एवं उत्पाद के विक्रय मूल्य की गणना/आकलन :

अ) पूंजीगत व्यय

क्र. सं	गतिविधि	संख्या	अनुमानित मुल्य	कुल व्यय	परियोजना अंश	लाभार्थी अंश
1	स्वचालित बुनाई मशीन	11	22,000	2,42,000	1,81,500	60,500
2	साधारण बुनाई मशीन	2	10,000	20,000	15,000	5,000
	योग	13		2,62,000	1,96,500	65,500

* अन्य छोटा आवश्यक समान महिलाएं स्वयं उपलब्ध कर रही हैं।

* उपरोक्त पूंजीगत व्यय का लाभार्थी अंश नकदी के रूप में स्वयं वहन करेंगे।

(ब) आवर्ती व्यय (एक चक्र के लिए एक महीना लिया गया है)

क्र०स०	विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1.	परिवहन खर्चा	प्रति माह	-	L/S	500
2.	कमरे का किराया	प्रति माह		L/S	1000
क) कोटी (45 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	30	625	18750
2	अन्य बटन आदि		45	L/S	400
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5 रु. प्रति		45	5	225
	कुल				31750
ख) स्वेटर (45 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	34.7	625	21688
2	अन्य बटन आदि		45	L/S	400
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 5 रु. प्रति		45	5	225
	कुल				34688
ग) बच्चों के सेट (180 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	54	625	33750
2	अन्य बटन, इलास्टिक आदि		180	L/S	900
3	मजदूरी	दिहाडी	45	275	12375
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 4 रु. प्रति		180	4	720
	कुल				47745
घ) जुराब (240 प्रति माह)					

1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	12	625	7500
2	कच्चा माल नायलॉन धागा	किलोग्राम	24	250	6000
3	मजदूरी	दिहाडी	30	275	8250
4	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली खर्चा इत्यादि 3 रु. प्रति		240	3	720
	कुल				22470
ड) टोपी (240 प्रति माह)					
1	कच्चा माल धागा	किलोग्राम	35	625	21875
2	मजदूरी	दिहाडी	30	275	8250
3	औसत खर्चा रिपेयर मशीन, पैकेजिंग, स्टीकर, बिजली, परिवहन खर्चा इत्यादि 3 रु. प्रति		240	3	720
	कुल				30845
	योग				167498
	योग कुल आवर्ती लागत (167498+1500)				168998
	आवर्ती व्यय (आवर्ती लागत-मजदूरी) = 168998-53625				115373
	कुल व्यवसाय योजना लागत (पूँजीगत व्यय+आवर्ती व्यय) =262000+115373				377373

(स) उत्पादन में लागत (एक चक्र के लिए)

क्र. सं.	विवरण	धनराशी
1	कुल आवर्ती व्यय	115373
2	पूँजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	2183
	योग	117556

(द) विक्रय मूल्य की गणना / आंकलन (प्रतिचक्र) :

क्र.सं.	वस्तु का नाम	संख्या	मजदूरी	औसत अन्य खर्चे	कुल धन राशी	प्रति नग लागत	आपेक्षित उत्पादन की मात्रा
1	कोटी	45	12375	19375	31750	706	45
2	स्वेटर	45	12375	22313	34688	771	45
3	बच्चों के सेट	180	12375	35370	47745	265	180
4	जुराबे	240	8250	14220	22470	94	240
5	टोपी	240	8250	22595	30845	129	240
	योग	750	53625	113873	167498		

- तैयार वस्त्रों/सेट्स की संख्या मात्र सांकेतिक है जिसकी संख्या मांग के आधार पर तय होगा।

2 निर्धारित लाभ तथा कार्य से अनुमानित आमदानी						
		वस्तु संख्या	लागत (श्रम + खर्चे)	प्राप्य/विक्रय राशि	लाभ %	कुल राशि
1	कोटी	45	706	1000	41	45000
2	स्वेटर	45	772	1150	49	51750
3	बच्चों के सेट	180	263	375	42	67500
4	जुराबे	240	95	125	31	30000
5	टोपी	240	129	175	36	42000
	योग	750				236250

12. उद्यम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए) :

क्र०स०	मद	धनराशि (रु)
1	पूँजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास (अ)	2183
2	आवर्ती व्यय	
क	किराया	1000
ख	परिवहन	500
ग	कच्चा माल धागा	111263
घ	मजदूरी	53625
ङ	औसत खर्चा रिपेयर मशीन , पैकेजिंग ,स्टीकर , बिजली खर्चा इत्यादि	2610
	योग	171181
3	कुल उत्पादन संख्या	750
5	उत्पादन की बुनाई की विक्री से प्रति माह आय	236250
6	कुल लाभ = 236250 - (2183 + 171181)	62886
7	उत्पाद की बुनाई से सकल लाभ = कुल लाभ + (मजदूरी एवं कमरा किराया) = 62886 + (53625 + 1000)	117511
8	एक चक्र के उपरान्त लाभ के रूप में सदस्यों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध धनराशी = उत्पाद की बुनाई से आय का 50% - (मूलधन व ब्याज वापसी + दुसरे चक्र हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय - मजदूरी) = 118125 - (0 + 168998 - 53625)	2552

- यह धनराशी मजदूरी व किराये की धनराशी के अतिरिक्त है। शुद्ध लाभ प्रति सदस्य का वितरण सदस्यों के मध्य सहमत अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

13. धन की आवश्यकता

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क्र०स०	मद	धनराशी (रु)
1	पूँजीगत व्यय	262000
2	आवर्ती व्यय का 50%	57686
	योग	319686

14. समूह के वित्तीय संसाधन :

क्र०स०	संसाधन का विवरण	धनराशी
1	पूँजीगत व्यय पर परियोजना द्वारा सहायता राशि	196500
2	लाभार्थी अंश	65500
3	समूह की आंतरिक बचत	50000
	योग	312000
	अतिरिक्त राशि की आवश्यकता = 319686-312000	7686

1. अतिरिक्त राशि कम होने के कारण समूह इस राशि का प्रबंध नकद व जमा राशि में से करेगा।

15. सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक ईवन पॉइंट) की गणना :

$$\begin{aligned} \text{ब्रेक ईवन पॉइंट} &= \text{पूँजीगत व्यय} / \text{प्रत्येक सेट की सिलाई पर वचत} \\ &= 262000/860 = 304 \text{ दिन अथवा दस माह} \end{aligned}$$

उपरोक्त अनुपात में विभिन्न प्रकार के 750 सेट बुनाई करके देने पर ब्रेक ईवन पॉइंट 304 दिनों में प्राप्त होगा अर्थात इस गतिविधि में लगे पूँजीगत लागत को दस महीनों में प्राप्त किया जा सकेगा।

16. धनराशी की व्यवस्था :

क) समूह की महिलाएं पूँजीगत लागत में लाभार्थी के अंश को नकद राशि के रूप में इकठ्ठा करेंगी।

ख) पहले माह केवल आधा उत्पादन किया जायेगा। जैसे जैसे बुनाई का काम बढ़ेगा, वे आवर्ती व्यय को भी

वाचत में से या नकद जमा कर के बाज़ार से खरीददारी करेंगी।

17. स्वयं सहायता समूह के नियम

1. समूह का काम : सिलाई व कटाई
2. समूह का पता : गाँव सेऊबाग , डाकघर सेऊबाग, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश I
3. समूह के कुल सदस्य: 13
4. समूह के गठन की तिथि : 05.01.2017
5. समूह में हर 100 रूपए के ऋण पर 2 रूपए ब्याज होगा
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 5 तारीख को होगी
7. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेंगे I
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा
9. स्वयं सहायता समूह का खाता पंजाब नेशनल बैंक, सेऊबाग शाखा में खोला गया है तथा खाता संख्या 243000100196732 है!
10. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी
11. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बैठको तक समूह से गेर हाज़िर रहते हैं तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाएगा
12. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगैरे गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होंगे तो खर्च मिल कर देना होगा
13. स्वयं सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाएंगे I
14. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते हैं यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा I
15. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेंगे I
16. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ सकती है अन्यथा नहीं I
17. ऋण का उद्देश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी

18. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रुपये की राशी होनी चाहिए
19. स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए
20. बड़े ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी ।
21. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए ।
22. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा राशी समूह में बाटी जाएगी ।
23. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी होगी ।

समूह का सहमती पत्र एवं स्वीकृति

आज दिनांक 11.12.2021 को सरस्वती स्वयं सहायता समूह (सेऊबाग उप-समिति) की बैठक हुई। बैठक में प्रधान श्रीमती मनसा देवी की अध्यक्षता में हुई जिसमें समूह के सदस्यों ने सर्व सहमती से निर्णय लिया कि आय बढ़ाने के लिए स्वेटर, जुराब, टोपी आदि की बुनाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाईका वित्तपोषित) से जुड़ने की सहमती प्रदान करते हैं तथा उपरोक्त परियोजना की सहायता से सभी सदस्यों द्वारा चयनित की गई गतिविधि जो कि बुनाई है, को इसकी व्यवसाय योजना के अनुसार या बाज़ार की मांग के अनुसार सभी सदस्य मिलजुल कर सफल बनायेंगे।

सरस्वती स्वयं सहायता समूह
सेऊबाग जिला कुल्लू (हि०प्र०)
समूह के सचिव के हस्ताक्षर

समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

प्रधान मनसा
सरस्वती स्वयं सहायता समूह
सेऊबाग जिला कुल्लू (हि०प्र०)

प्रधान,

सेऊबाग उपसमिति
जैव विविधता प्रबंधन समिति, सेऊबाग
सचिव कुजावै
सेऊबाग जैव विविधता उप समिति
नरनाल व जिला कुल्लू (हि०प्र०)
स्वीकृत

फील्ड तकनीकी यूनिट (FTU)
वन्यप्राणी परिक्षेत्र, मनाली ।

Divisional Management Unit Officer
कुल्लू - नरनाल प्रबंधन Forest Officer (DMU)
Wild Life Division, Kullu
वन्यप्राणी मंडल, कुल्लू ।

स्वयं सहायता समूह सरस्वती (सेऊबाग उप- समिति) के सदस्य



 <p>Smt. Lata Devi</p>	 <p>Smt. Dolma Devi</p>	 <p>Smt. Babli Devi</p>	 <p>Smt. Sushma</p>
 <p>Smt. Asha</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>